न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर अहकाम की तामील
	गोविन्द प्रसाद बनाम मदन मोहन मु.नं. 83/21 (T.I)	

02.12.25 अभिभाषकों द्वारा अभिभाषक संघ चुनाव 25-के मध्यनजर न्यायिक कार्य स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 01.1.26 को पेश हो।

01.01.26 अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका।– पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 15.01.26 को पेश हो।

15.01.26 पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य कार्य मे व्यस्त होने से न्यायिक कार्य नहीं हो सका पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 20-01-26 को पेश हो।

20.01.26 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाकर खारिज (Reject) किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
83/2021	21.09.2021	20.01.2026

बउनवान

1. गोविन्द प्रसाद पुत्र स्व. उम्मेदीलाल, निवासी पालौदा, तहसील मण्डावर दौसा।
2. बनवारी शर्मा पुत्र स्व. उम्मेदीलाल, निवासी पालौदा, तहसील मण्डावर दौसा।
3. सतीश शर्मा पुत्र स्व. उम्मेदीलाल, निवासी पालौदा, तहसील मण्डावर दौसा।

..प्रार्थी/सायलान

बनाम

1. मदनमोहन शर्मा पुत्र स्व. यादराम शर्मा, निवासी पालौदा, तहसील मण्डावर दौसा।
2. पवन शर्मा पुत्र स्व. यादराम शर्मा, निवासी पालौदा, तहसील मण्डावर दौसा।
3. रामेश्वरी शर्मा पत्नी स्व. यादराम शर्मा, निवासी पालौदा, तहसील मण्डावर दौसा।
4. राजेश पुत्र स्व. सुरेश शर्मा, निवासी पालौदा, तहसील मण्डावर दौसा।
5. योगेश पुत्र स्व. सुरेश शर्मा, निवासी पालौदा, तहसील मण्डावर दौसा।
6. रामस्वरूप पुत्र प्रभुदयाल, निवासी पालौदा, तहसील मण्डावर दौसा।
7. गोपाल पुत्र उम्मेदीलाल, निवासी पालौदा, तहसील मण्डावर दौसा।
8. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार मण्डावर जिला दौसा।

..अप्रार्थीगण/गैरसायलान

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री प्रीतम चन्द सैनी।
2. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 लगायत 7 – श्री मुकेश सिंह।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीगण की भूमि विवादित आराजीयात खाता सं. 100 के खसरा सं. 18, 19, 61, 62 कुल किता 4 कुल रकबा 1.53 हैक्टे. ग्राम पालौदा तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित है। विवादित आराजीयात खाता सं. 29 खसरा सं. 60, 336, 337, 338, 339, 340, 342, 354, 355, 65, 356, 358, 359, 360, 361, 366 कुल किता 15 कुल रकबा 3.86 हैक्टे. ग्राम पालौदा तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित है। विवादित आराजीयात खाता सं. 100 में सायलान का 3/8 भाग मौजूद जमाबन्दी है एवं गैरसायल संख्या 1 व 2 का 1/8 हिस्सा व गैरसायल संख्या 3 का 1/16 हिस्सा गैरसायल नंबर 4 व 5 का 1/16 हिस्सा व गैरसायल नंबर 6 का 1/4 हिस्सा तथा गैरसायल नंबर 7 का 1/8 हिस्सा मौजूद जमाबन्दी है। खाता सं. 29 में सायलान का 3/4 हिस्सा तथा गैरसायल संख्या 7 का 1/4 हिस्सा मौजूद जमाबन्दी है तथा राजस्व रिकोर्ड के

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

अनुसार ही सायलान एवं गैरसायलान 1 लगायत 7 काबिज काश्त हैं। सायलान एवं गैरसायलान संख्या 1 लगायत 7 के मध्य आपस में डोल मेढ व जमीन के कम व अधिक होने को लेकर विवाद होते रहते हैं व गैरसायलान हमेशा सायलान के हिस्से की भूमि में अतिक्रमण कर हड़पने की कुचेष्टा करते रहते हैं। दिनांक 04.07.2020 को आषाढ माह में बरसात होते ही गैरसायल संख्या 7 ट्रेक्टर लेकर आया व आते ही सायलान के हिस्से की भूमि में बुआई करने लग गया। सायलान ने निवेदन किया कि आप इस तरह जबरदस्ती हमारी भूमि में क्यों कब्जा कर रहे हैं जबकि उक्त भूमि पूर्व से ही हमारी कब्जा काश्त की भूमि है एवं यदि आपके मन में कोई बहम है तो हम सभी मिलकर उक्त विवादित आराजीयात का तहसील कार्यालय महवा में चलकर कानूनी बंटवारा करवा लेते हैं तो इस पर गैरसायलान सं. 1 लगायत 7 एकदम से नाराज हो गये एवं सायलान से ऐलानिया कहने लगे कि हमारे लठ्ठ में ताकत है। हम जहां होकर चाहेगें यहां होकर कब्जा करेगें एवं उक्त भूमि का कानूनी बंटवारा नहीं होने देंगे तथा तुम्हें तुम्हारे हिस्से की आराजी से बेदखल करके रहेगें। अगर गैरसायलान अपनी उक्त ऐलानिया धमकी में सफल हो गये तो सायलान को अपूर्णनीय क्षति होगी गैरसायलान की उक्त धमकी के कारण प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत करना लाजमी आया है। सायलान का प्रथम दृष्टया केस बखूबी एवं सुविधा का सन्तुलन साबित है। यदि गैरसायलान को पाबन्द नहीं किया गया तो गैरसायलान उक्त भूमि पर निर्माण कर लेगा और दीगर व्यक्ति को कब्जा करवा देगा जिससे सायलान के हक हकूकों से हमेशा–हमेशा के लिये वंचित होना पडेगा। गैरसायलान को पाबन्द नही किया किया गया तो सायलान को अकथनीय क्षति होगी । अतः निवेदन है कि ताफैसला दावा गैरसायलान को इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि सायलान के हिस्से की आराजी कब्जा काश्त में कोई व्यवधान ना करे ना ही किसी अन्य से करावे तथा सायलान के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की भूमि को रहन व बेचान नही करें एवं किसी भी प्रकार की दखल अन्दाजी बेजा ना तो स्वयं करे और नाही किसी अन्य से करावें।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बावजूद, अप्रार्थी सं. 01 लगायत 08 ने न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए इनके जवाब का अवसर बंद किया गया।

3. प्रार्थना पत्र पर विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया।

4. पत्रावली, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद या कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

5. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। जमाबंदी संवत 2073–76 के अनुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात के रिकॉर्डेड सहखातेदार है। विवादित आराजीयात अविभाजित भूमि है जिसमें प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का समान हिस्सा होता है। प्रार्थना पत्र से संबद्व वाद पत्र के जरिये प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है जिसका निर्धारण वादपत्र में साक्ष्य उपरांत गुणावगुण पर किया जा सकेगा। इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं पाया जाता है। रिकॉर्डेड खातेदार (अप्रार्थीगण) के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी होने से उनके खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव होगा तथा खातेदारी अधिकारों के उपयोग में अप्रार्थीगण को बाधा होगी। इस कारण निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को असुविधा तथा अपूरणीय क्षति होगी। इस कारण सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति सिद्धांत की प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं पाया जाता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं है।

आदेश

6. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 20.01.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा) सत्यमेव जयते